न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 28/2008

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती लुंगीबाई बेवा स्व. श्री राजाराम जाति मुंगिया निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी 2. श्री रामाराम पुत्र श्री चेनाजी जाति मुंगिया निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजाराम अप्रार्थी संख्या दो अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 13.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो ने यह रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस न्यायालय के पंचायत निगरानी मुकदमा संख्या 02/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.04. 2021 पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता द्वारा जरिये वकालातनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा निवेदन किया कि निगरानी पेश करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। इसके उपरान्त भी प्रार्थिया को विवादित पट्टा संख्या 81 जारी होने की जानकारी होते ही बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की है। यह है कि उक्त भूमि अवाप्ति के संबंध में प्रार्थिया की ओर से नियमानुसार आपत्ति प्रस्तुत की गई लेकिन उस समय पट्टा अस्तित्व में होने से प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत द्वारा गौर नहीं किया गया। यह है कि प्रार्थी की ओर से मूल निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जो निगरानी संख्या 02/2014 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 15.04.2021 को निर्णित कर अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पटटा संख्या 81 दिनांक 07.06.2013 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। यह है कि उक्त निगरानी के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 97(3) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने का प्रावधान है जो नहीं की गई [illegible] धारा 114 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। यह है कि रिव्यू प्रार्थना [illegible] य को रिव्यू करने के जो प्रावधान है, उसमें से इस प्रार्थना प[illegible] वर्णित कोई भी [illegible] उस परिधि में नहीं आते है। अतः उक्त निर्णय के विरूद्ध नि[illegible] रिट ही [illegible]य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री राजाराम [illegible] यालय जिला कलक्टर [illegible] द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट संख्या 9396/2021 प्रस्तुत कर रखी है जिसमें पेशी तारीख दिनांक 17.08.2021 रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:15:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त निर्णय के विरूद्ध नियमानुसार रिट प्रस्तुत कर रखी है एवं उक्त तथ्यों को छिपाते हुए गलत रूप से रिव्यू प्रार्थना पत्र भी न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही में प्रस्तुत किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने इस तथ्य को छुपाकर दोनों न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही कर रखी है। जिससे अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध भारी से भारी कोस्ट आरोपित कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना कानूनन न्यायसंगत है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत डी.एन.जे 1999 पेज 370 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कोई भूल अथवा त्रुटि जो पत्रावली को देखने मात्र से प्रकट हो, को ही पुनर्विलोकन द्वारा सुना जा सकता है । न्यायालय तब अपील की भांति उसे नही सुनेगा और न (पूर्व में दिये गये) तर्को का पुनः मूल्याकंन करेगा। अतः अप्रार्थी संख्या दो का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या दो श्री राजाराम पुत्र श्री चेनाजी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि दिनांक 15.04.2021 को पारित निर्णय में त्रुटि की गई है । अप्रार्थी संख्या दो द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थिया ने उक्त निगरानी म्याद बाहर पेश की थी एवं पट्टा जारी होने के 90 दिवस के अन्दर–अन्दर निगरानी पेश करनी होती है परन्तु प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता ने लिमिटेशन में लेने के लिए धारा 5 का अलग से कोई प्रार्थना पत्र नहीं पेश किया है। यह है कि प्रार्थिया ने जिस पट्टे का उल्लेख किया है वो पट्टा वर्ष 2008 में बना है और उसमें विक्रय विलेख का हवाला दिया है अर्थात वर्ष 2008 का तथ्य छिपाकर पट्टा संख्या 81 दिनांक 21.05.2008 मिसल संख्या 14 वर्ष 2008–09 का कोई हवाला नहीं देकर विक्रय विलेख का जिक्र किया। प्रार्थिया को चाहिए था कि उक्त विक्रय विलेख की कार्यवाही करते या म्यूटेशन निरस्ती कर कार्यवाही करती लेकिन दोनों कार्यवाहियां म्याद बाहर होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट में रिवीजन पेश की जबकि वस्तुस्थिति यह है कि सहायक कलक्टर आबूपर्वत में खाताधारी रामाराम पुत्र चेनाजी मुंगिया साककिन भावरी को उक्त भूमि उसको आवंटन की थी उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या दो को सक्षम अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत के द्वारा मुआवजा राशि भी अदा की तथा जब पट्टा जारी हुआ उस समय भी आपत्ति का नोटिस जारी होता है उस समय भी प्रार्थिया ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश की है एवं न ही उक्त मुआवजा में कोई आपत्ति पेश की है। यह है कि प्रार्थिया ने उक्त भूमि पुश्तैनी होने बाबत कोई सरकारी दस्तावेज पेश नहीं किया है एवं प्रार्थिया एवं उसके बच्चों ने एक झूठी वसियत कृषि भूमि को लेकर बनवाई है जिसका अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम ने सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में सिविल वाद पेश किया तथा कृषि भूमि को लेकर अधिकारों की घोषणा का सहायक कलक्टर पिण्डवाडा के समक्ष पेश किया। उक्त दोनों वाद विचाराधीन है एवं उक्त वादों के विचाराधीन [illegible] के कारण प्रार्थिया ने उक्त रिवीजन पेश की जिस पर अप्रार्थी संख्या दो [illegible] है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थिया ने उक्त निगरानी म्याद बाहर पेश की थी एवं पट्टा जारी होने के 90 दिवस के अन्दर–अन्दर निगरानी पेश करनी होती है परन्तु प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता ने लिमिटेशन में लेने के लिए धारा 5 का अलग से कोई प्रार्थना पत्र नहीं पेश किया है। यह है कि प्रार्थिया ने जिस पट्टे का उल्लेख किया है वो पट्टा वर्ष 2008 में बना है और उसमें विक्रय विलेख का हवाला दिया है अर्थात वर्ष 2008 का तथ्य छिपाकर पट्टा संख्या 81 दिनांक 21.05.2008 मिसल संख्या 14 वर्ष 2008–09 का कोई हवाला नहीं देकर विक्रय विलेख का जिक्र किया। प्रार्थिया को चाहिए था कि उक्त विक्रय विलेख की कार्यवाही करते या म्यूटेशन निरस्ती कर कार्यवाही करती लेकिन दोनों कार्यवाहियां म्याद बाहर होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट में रिवीजन पेश की जबकि वस्तुस्थिति यह है कि सहायक कलक्टर आबूपर्वत में खाताधारी रामाराम पुत्र चेनाजी मुंगिया साककिन भावरी को उक्त भूमि उसको आवंटन की थी उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या दो को सक्षम अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट आबूपर्वत के द्वारा मुआवजा राशि भी अदा की तथा जब पट्टा जारी हुआ उस समय भी आपत्ति का नोटिस जारी होता है उस समय भी प्रार्थिया ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश की है एवं न ही उक्त मुआवजा में कोई आपत्ति पेश की है। यह है कि प्रार्थिया ने उक्त भूमि पुश्तैनी होने बाबत कोई सरकारी दस्तावेज पेश नहीं किया है एवं प्रार्थिया एवं उसके बच्चों ने एक झूठी वसियत कृषि भूमि को लेकर बनवाई है जिसका अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम ने सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में सिविल वाद पेश किया तथा कृषि भूमि को लेकर अधिकारों की घोषणा का सहायक कलक्टर पिण्डवाडा के समक्ष पेश किया। उक्त दोनों वाद विचाराधीन है एवं उक्त वादों के विचाराधीन होने के कारण प्रार्थिया ने उक्त रिवीजन पेश की जिस पर अप्रार्थी संख्या दो अनुचित दवाब बनाया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र में निर्णय को रिव्यू करने के जो प्रावधान है, उसमें से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित कोई भी प्रावधान उस परिधि में नहीं आते है। अतः उक्त निर्णय के विरूद्ध नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय में रिट ही परिपोषणीय है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री राजाराम ने न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2021 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट संख्या 9396/2021 प्रस्तुत कर रखी है जिसमें पेशी तारीख दिनांक 17.08.2021 रखी गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त निर्णय के विरूद्ध नियमानुसार रिट प्रस्तुत कर रखी है एवं उक्त तथ्यों को छिपाते हुए गलत रूप से रिव्यू प्रार्थना पत्र भी न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही में प्रस्तुत किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने इस तथ्य को छुपाकर दोनों न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही कर रखी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की ओर से मूल निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया जो निगरानी संख्या 02/2014 [illegible] दिनांक 15.04.2021 को निर्णित होकर अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 81 दिनांक 07.06.2013 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:15:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करने का प्रावधान है परन्तु इस प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी. पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया है। धारा 114 के अनुसार–

114. पुनर्विलोकन– पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो–

(क) किसी ऐसे डिक्री या आदेश से जिसको इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी काई अपील नहीं की गई है,

(ख) किसी ऐसे डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है,

अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 02/2014 निर्णय दिनांक 15.04.2021 के लिए रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया जबकि इसी आदेश की सिविल रिट संख्या 9396/2021 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की है,जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त दोनों न्यायालयों में तथ्यों को छुपाकर उक्त धारा की अवहेलना की है। अप्रार्थी को जब इसका ज्ञान हुआ तो तब उसने दिनांक 12.08.2021 को इस न्यायालय में उक्त रिव्यू प्रार्थना का ड्रोप करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जो धारा 114 का स्पष्ट उल्लघंन होने कें कारण अस्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र धारा 97(3) के तहत प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में यह प्रावधान है कि मूल निर्णय में कोई भूल अथवा त्रुटि जो पत्रावली के देखने मात्र से प्रकट हो, को ही रिव्यू के माध्यम से सुधारा जा सकता है । अपील की भांति नही सुना जा सकता है । अतः मूल निर्णय में कोई भूल होना नही पाया जाता है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिव्यू पीटीसन नम्बर 122 से 125/1998 राजस्थान सरकार बनाम मैसर्स भारती कन्सट्रक्सन में यह अभिमत किया गया है कि **"Civil Procedure Code, 1908-Sec. 114 & O.47,R. 1- Scope of review ? Order made on account of some mistake or error apparent on the face of the record are significant- The Court will not act as an appellate Court to hear such a pet ition or will re- appreciate the argument.,,** उक्त विधिक दृष्टिांत की सम्मान पूर्वक पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या दो का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:15:05 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner